[Extract from Haryana Government Gazette (Extra.), dated the 28th January, 2014]

हरियाणा सरकार

स्कूल शिक्षा विभाग

अधिसूचना

दिनांक 28 जनवरी 2014

संख्या 8/27–2013 पी0एस0 (2).–हरियाणा विद्यालय शिक्षा अधिनियम, 1995(1999 का अधिनियम 12), की धारा 24 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम, 2003, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है; अर्थातः–

1. ये नियम हरियाणा विद्यालय शिक्षा (संशोधन) नियम, 2014, कहे जा सकते हैं तथा ये नियम प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।

2. हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम, 2003 में, नियम 158 के बाद, निम्नलिखित नियम जोड़े जाएगें, अर्थात :–

"158क फीस तथा निधि नियामक समिति (1) मण्डल स्तर पर मंडल आयुक्त की अध्यक्षता के आधीन फीस तथा निधि नियामक समिति के नाम से ज्ञात समिति होगी जिसकी सहायता के लिए निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी होंगे।

(i) अध्यक्ष द्वारा मनोनीत ज़िला शिक्षा अधिकारी/ज़िला मौलिक शिक्षा अधिकारी (पदेन सदस्य)

(ii) अध्यक्ष द्वारा ऐसे निबन्धनो तथा शर्तों पर, जो सरकार द्वारा मनोनीत की जाए सेवानिवृत लेखा अधिकारी/चार्टर्ड एकाउंटेंट (सदस्य)।

(2) जहाँ समिति किसी शिकायत के प्राप्त होने पर या अन्यथा जाँच उपरांत संतुष्ट हो जाती है कि विद्यालय द्वारा यथा अधिसूचित फीस से अधिक कैपीटेशन फीस या फीस प्रभारित करता है तो यह शिकायत प्राप्ति के 60 दिन के भीतर इस प्रकार प्राप्त शिकायत का निवारण सुनिश्चित करेगी, तथा यह–

(i) संबंधित संस्था को विद्यालय द्वारा यथा अधिसूचित फीस से प्रभारित की गई कैपीटेशन फीस या फीस को वापस देने के निर्देश दे सकती है, जैसी स्थिति हो ;

(ii) विद्यालय की मान्यता/सम्बद्वता वापस लेने की सिफारिश कर सकती है तथा तदानुसार निदेशक आदेश पारित करेगा।

(3) समिति उक्त उपनियम (2) के अधीन कार्यवाही करने या आदेश पारित करने से पहले ऐसी संस्था को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगी।

158ख अपील– कोई व्यक्ति या विद्यालय प्रबंधन नियम 158क के अधीन पारित किसी निर्देश या आदेश से व्यथित है तो वह ऐसे आदेश की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर प्रशासकीय सचिव को अपील दायर कर सकता है।"

3. इन नियमों में, नियम 159 में उप-नियम (4) लोप समझा जाए।

सुरीना राजन,
प्रधान सचिव,
हरियाणा सरकार, स्कूल शिक्षा विभाग।

51936—C.S.—H.G.P., Chd.

[Extract from Haryana Government Gazette (Extra.), dated the 28th January, 2014]

HARYANA GOVERNMENT

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT

Notification

The 28th January, 2014

No. 8/27-2013PS(2) .—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) read with Sub-section(2) of Section 24 of Haryana School Education Act, 1995 (12 of 1999), the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana School Education Rules, 2003, namely :—

1. These rules may be called the Haryana School Education (Amendment) Rules, 2014 and will be applicable *w.e.f.* the date of publication.

2. In the Haryana School Education Rules, 2003, after rule 158, the following rules shall be inserted, namely :—

"158A. Fee and Fund Regulatory Committee .-(1) There shall be a committee to be known as Fee and Fund Regulatory Committee at the Divisional Level under the Chairmanship of Divisional Commissioner, who shall be assisted by the following officer/officials,—

(i) District Education Officer/District Elementary Education Officer (ex-officio member) to be nominated by the Chairman.

(ii) a retired Accounts Officer/Chartered Accountant to be nominated by the Chairman on such terms and conditions, as may be approved by the Government.

(2) Where the Committee on receipt of any complaint or otherwise is satisfied after due enquiry, that a private school has charged capitation fee or fee in excess of the fee as notified by the school, it would ensure redressal of the complaint so received within a period of sixty days from the receipt of the complaint and it may.—

(i) direct the concerned institution to refund the capitation fee or fee in excess of the fee as notified by the school, as the case may be;

(ii) recommend withdrawal of the recognition/affiliation of the school and the Director shall pass the orders accordingly.

(3) Before taking any action or passing any order sub-rule (2) above, the committee shall provide a reasonable opportunity of being heard to such an institution.

158B. Appeal.—Any person or school management aggrieved by any direction or order passed under rule 158 A, may file an appeal to the Administrative Secretary within a period of thirty days from the date of such order."

3. In the said rules, in rule 159, sub-rule (4) shall be omitted.

SURINA RAJAN,
Principal Secretary to Government Haryana,
School Education Department.

51936—C.S.—H.G.P., Chd.